-1-

COURT FEE भारत दो रुपए TWO RUPEES / 1 RUPEE 50 PAISE

न्यायालय बोर्ड ऑव रेवेन्यु मध्यप्रदेश

प्रेमनारायण वल्द रामसहाय कुर्मी,
निवासी मगरधा, तहसील रेहली जिला सागर.

... ... रिव्हीजनर

<u>विरूद्ध</u>

1. भवानी प्रसाद वल्द बालमुकुन्द कुर्मी,
2. ~~मूलचंद वल्द कोदूलाल कुर्मी,~~
3. ~~हरीशंकर वल्द दमरूलाल कुर्मी,~~

--सभी निवासी ग्राम मगरधा तहसील गढ़ाकोटा,
जिला सागर, म.प्र.

... ... रेस्पोन्डेन्ट्स

<u>रिव्हीजन पिटीशन अंतर्गत धारा 50 म.प्र. लैण्ड रेवेन्यु कोड 1952:</u>

रिव्हीजन पिटीशनर न्यायालय अतिरिक्त कमिश्नर सागर संभाग सागर (प्रेमनारायण विरूद्ध भवानी एवं 2 अन्य) सेकेन्ड रेवेन्यु अपील प्रकरण क्र. 8 बी/113/89-90 में पारित आदेश दिनाँक 12.3.91 (जो इन्हीं पक्षकारों के मध्य अनुविभागीय अधिकारी रेहली द्वारा प्रथम अपील प्रकरण क्र. 21 ब/113/88-89 में पारित आदेश दिनाँक 3.10.89 तथा तहसीलदार गढ़ाकोटा द्वारा प्रकरण क्र. 5 बी/ सन् 88-89 आदेश दिनाँक 12.6.89 से उत्पन्न हुआ) से दुखित होकर निम्नलिखित तथ्यों एवं आधारों पर यह रिव्हीजन पिटीशन प्रस्तुत करता है:-

<u>प्रकरण के तथ्य</u>

1. यह कि, ग्राम मगरधा, पटवारी हल्का नंबर 22 तहसील गढ़ाकोटा जिला सागर में श्री देव जानकी रमण जी एक प्राईवेट मंदिर है जिसकी सेवा पूजा के लिए ग्राम मगरधा स्थित खसरा नंबर 121 रकवा 0.683 तथा 186 रकबा 4.346 की कृषि भूमि लगी है. उक्त मंदिर अपीलार्थी का निजी मंदिर है जिसका प्रबंध अपीलार्थी के पिता रामसहाय कुर्मी, मोहतमिमकार की हैसियत से अपनी मृत्यु पर्यन्त करते थे.

2. यह कि, उक्त मंदिर एवं उसकी संपत्ति का न तो कोई पब्लिक ट्रस्ट है और न प्राईवेट ट्रस्ट और इसलिए म.प्र. पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 अथवा इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के कोई प्रावधान

COURT FEE 2 Rs भारत | COURT FEE 2 Rs भारत | COURT FEE 2 Rs भारत | COURT FEE 1 Re 50 P. INDIA भारत

/89-90

R 104-4/91

10 MAY

Amended as per order of the court dt. 29.11.16

अनावेदक क्र. 2 मूलचंद वल्द जोइलाल मृत द्वारा वारसान :-

① जानकरानी, उम्र 70 वर्ष, विधवा मूलचंद, व्यवसाय कृषि सभी निवासी ग्राम मगरधर.

② मानकलाल वल्द मूलचंद कुर्मी, उम्र 42 वर्ष, सब इंजीनियर पी.डब्लू.डी. (बैहर) पेट्रोल पंप के सामने, बैहर पो० बैहर जिला बालाघाट,

③ रमेश पिता मूलचंद कुर्मी, उम्र 36 वर्ष, कृषि ग्राम मगरधर, पो० [illegible], तह० [illegible] जिला बालाघाट.

④ नरेन्द्र कुमार कुर्मी, वल्द मूलचंद कुर्मी, 32 वर्ष, सर्विस, मार्फत विनय ट्रेडिंग, शर्मा भगत चौक [illegible] [illegible]

Amended as per order of the court dt. 29.11.16

अनावेदक क्र. 3 हरिशंकर कुर्मी मृत द्वारा वारसान :-

① रामरानी बेवा हरिशंकर कुर्मी (पत्नि),

② रामनाथ वल्द हरिशंकर कुर्मी, (पुत्र).

③ संतोष वल्द हरिशंकर कुर्मी, मृत द्वारा वैधानिक उत्तराधिकारी

1. श्रीमति विद्यारानी, उम्र 37 वर्ष, विधवा संतोष कुर्मी,
2. अजय कुर्मी, उम्र 18 वर्ष, वल्द संतोष कुर्मी,
3. विजय कुर्मी, उम्र 16 वर्ष, वल्द संतोष कुर्मी,

सभी निवासी ग्राम मगरधर, तह० [illegible] जिला [illegible]

④ कमलेश वल्द हरिशंकर कुर्मी,

⑤ बालकृष्ण वल्द हरिशंकर कुर्मी,

सभी निवासी ग्राम मगरधर, तह० [illegible] जिला [illegible]

XXXIX(a)-BR (H)-11

राजस्व मण्डल,मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ ....

प्रकरण क्रमांक 104–दो/1991 निगरानी **जिला सागर**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों तथा अभिभाषकों के ह
[illegible]-2-17	प्रकरण आदेश हेतु प्रस्तुत हुआ। अवलोकन किया गया। यह निगरानी अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर व्दारा प्रकरण क्रमांक 8 बी–113/1989–90 में पारित आदेश दिनांक 12–2–1991 के विरुद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ दोनों पक्षों के अभिभाषक उपस्थित हैं। दोनों पक्षों के अभिभाषकों ने संयुक्त हस्ताक्षर करके पक्षकारों के बीच हुये राजीनामा , जो नोटरी अभिभाषक के यहाँ दिनांक 25 अक्टूवर 2016 को प्रमाणित कराया गया है, शपथ पत्र प्रस्तुत किये हैं। तद्नुसार तहसीलदार गढ़ाकोटा के प्रकरण क्रमांक 5 बी–115/88–89 में पारित आदेश दिनांक 12–6–1989 को स्थिर रखते हुये अनुविभागीय अधिकारी रहली के प्रकरण क्रमांक 21 बी–113/88–89 अपील में पारित आदेश दिनांक 3–10–89 एंव अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर व्दारा प्रकरण क्रमांक 8 बी–113/1989–90 में पारित आदेश दिनांक 12–2–1991 को निरस्त करते हुये तहसीलदार गढ़ाकोटा के प्रकरण क्रमांक 5 बी–115/88–89 में पारित आदेश दिनांक 12–6–1989 को स्थिर रखे जाने वावत् दोनों पक्ष सहमत हैं इसी आशय का राजीनामा आवेदन दिनांक 31–1–17 है। 3/ आवेदक एंव अनावेदकगण की ओर से प्रस्तुत राजीनामा आवेदन पर से निगरानी स्वीकार की जाती है एंव अनुविभागीय अधिकारी रहली व्दारा प्रकरण क्रमांक 21 बी–113/88–89 अपील में पारित आदेश दिनांक 3–10–89 एंव अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर व्दारा	

प्रकरण कमांक 104-दो/1991 निगरानी

प्रकरण कमांक 8 बी-113/1989-90 में पारित आदेश दिनांक 12-2-1991 निरस्त किये जाते हैं तथा तहसीलदार गढ़ाकोटा व्दारा प्रकरण कमांक 5 बी-115/88-89 में पारित आदेश दिनांक 12-6-1989 यथावत् रखा जाता है। राजीनामा आवेदन दिनांक 31-1-17 इस आदेश का अॅग माना जावेगा।

सदस्य